आवश्यक / महत्वपूर्ण

संख्या– 657 /60–1–14–1 / 13(71) / 06

प्रेषक,

कामिनी चौहान रतन,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 21 मार्च, 2014

विषयः–समेकित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई में निहित पदों के कार्य एवं उत्तरदायित्वों का निर्धारण।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या– 3007 / 60–1–12–1 / 13(71) / 06 दिनांक 04 सितम्बर, 2012 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा समेकित बाल संरक्षण योजना (ICPS) के अंतर्गत जनपद स्तर पर जिला बाल संरक्षण इकाई के लिए प्राविधानित पदों की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। इनमें से 02 पद संविदा तथा अन्य पद सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से भरे जाने थे।

2– उपरोक्त के सम्बन्ध में प्राप्त सूचना के अनुसार अधिकांश जनपदों की बाल संरक्षण इकाई में नियुक्तियॉ कर ली गयी हैं, परन्तु पदनिहित उत्तरदायित्वों की जानकारी न होने के कारण नियुक्त कार्मिकों से योजना के क्रियान्वयन हेतु उनकी योग्यता का उपयोग नहीं किया जा पा रहा है।

3– उपरोक्त के दृष्टिगत किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 एवं भारत सरकार की समेकित बाल संरक्षण योजना के प्राविधानों के अनुरूप समस्त पदों का कार्य एवं उत्तरदायित्व निर्धारित कर पत्र के साथ संलग्न करते हुए इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि कृपया उक्त के अनुसार संबंधित कार्मिकों से योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए कार्य लिया जाय।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

(कामिनी चौहान रतन)
सचिव।

---2,

संख्या : 657(1)/60–1–14 एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1– निदेशक, महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2– समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
3– समस्त उपमुख्य परिवीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4– समस्त जिला परिवीक्षा अधिकारी/जिला बाल संरक्षण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5– समस्त प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, उत्तर प्रदेश।
6– समस्त अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति, उत्तर प्रदेश।
7– गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(अमरेन्द्र बहादुर सिंह)
अनुसचिव।